

कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी कौशाम्बी ।

पत्रांक 667


/एम0डी0एम0परिवहन/

दिनांक 11-3-2014

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी,
कौशाम्बी ।


शासनादेशानुसार निर्धारित मात्रा के अनुसार वर्ष 2013-14 में भारतीय खाद्य निगम वित्तीय से उठाये गये गेहूँ एवं चावल के परिवहन भुगतान सम्बन्धी बिल फार्म ए पर रुपये 75 प्रति कुन्टल की दर से रु0 1699785.00 तैयार कर इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि सम्बन्धित बिल के भुगतान सम्बन्धी बैंक सम्भागीय लेखाधिकारी(खाद्य) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के नाम से निर्गत करने का कष्ट करें ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 01 बिल


जिला खाद्य विपणन अधिकारी,
कौशाम्बी ।

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1-सम्भागीय लेखाधिकारी(खाद्य)इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद
2-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक इलाहाबाद सम्भाग इलाहाबाद ।


जिला खाद्य विपणन अधिकारी,
कौशाम्बी ।

वित्तीय वर्ष 2013-14

फार्म (ए) बिल

1. मण्डल :- इलाहाबाद। जनपद :- कौशाम्बी
2. केंद्र का नाम :- कौशाम्बी जनपद से सम्बन्धित सभी केंद्र।
3. अवधि :- अप्रैल 2013 से मार्च 2014
4. आरओओ संख्या :-
5. बिल नम्बर :- 02
6. बैंक जिसके नाम निर्गत किया जाना है- सम्भागीय लेखधिकारी(खाद्य) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद

क्र.सं०	विवरण	ब्लाक	मात्रा (कुन्टल में)	दर (रु० 75.00 प्रति कुन्टल)	कुल धनराशि
1	गेहूँ (अप्रैल 2013)	08	470.03	75.00	35252.25
2	चावल (अप्रैल 2013)	08	927.42	75.00	69556.50
3	गेहूँ (मई, जून 2013)	08	940.07	75.00	70505.25
4	चावल (मई, जून 2013)	08	1854.88	75.00	139116.00
5	गेहूँ (जुलाई 2013)	08	880.70	75.00	66052.50
6	चावल (जुलाई 2013)	08	1738.20	75.00	130365.00
7	गेहूँ (अगस्त 2013)	08	880.70	75.00	66052.50
8	चावल (अगस्त 2013)	08	1738.20	75.00	130365.00
9	गेहूँ (सितम्बर 13)	08	880.70	75.00	66052.50
10	चावल (सितम्बर 13)	08	1738.00	75.00	130350.00
11	गेहूँ (अक्टूबर 2013 दिसम्बर 13)	08	2531.40	75.00	189855.00
12	चावल (अक्टूबर 12 दिसम्बर 12)	08	5062.80	75.00	379710.00
13	गेहूँ (जनवरी 2014 मार्च 14)	08	1006.90	75.00	75517.50
14	चावल (जनवरी 14 मार्च 14)	08	2013.80	75.00	151035.00
15	योग-		22663.80	75.00	1699785.00

(रु० सोलह लाख निन्यन्वे हजार सात सौ पच्चीस मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. बिल प्रथम बार मुगलत में प्रस्तुत है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि विभाग विभाग द्वारा विभिन्न घटकों जैसे हैंडलिंग व्यय/गोदाम किराया/गोदाम रख रखाई/पोरवहन/पथामिक व्यय आदि पर कुल व्यय रु० 75 प्रति कु० से अधिक किया गया है। प्रमाणित किया जाये प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर/जिलाधिकारी दर के आधार पर खूनतम है।

आमने कायदा निदेश
जिसका अर्थ है कि नए ही
बिलों में नए ही नए ही
नए ही नए ही नए ही नए ही
नए ही नए ही नए ही नए ही
नए ही नए ही नए ही नए ही

21 Aug 2013/2014
F.A.O.

Tudy
PCMDM

सत्यापित
[Signature]

[Signature]
जिला खाद्य विपणन अधिकारी
कौशाम्बी

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

कल/तारीख - 16/08/2013

[Signature]